

: गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, म.प्र. :

क्रमांक: स्था./प्रशा./श.नि./89/6239 प्रशा. §

दिनांक: 31-3-89

: आदेश :

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 31-3-89 में पद क्रमांक 9 में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के प्रावधानानुसार लिये गये निर्णय के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के समक्ष दशाधि गये पद, वेतनमान एवं विषय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा-अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

उनका वेतन मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

उन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत

अन्य सभी भत्ते देय होंगे :-

क्रमांक	नाम	पद	वेतनमान	विषय	अन्य विवरण
1.	डॉ० भवानी मोहन मुकर्जी.	आचार्य	4500-7300	सामाजिक नृतत्वशास्त्र	—
2.	श्री बलराम ओरौन	व्याख्याता	2200-4000	"	सुरक्षित पद
3.	डॉ० अनिल किशोर सिन्हा	व्याख्याता	2200-4000	"	—
4.	डॉ० हरिशंकर द्विवेदी	आचार्य	4500-7300	राजनीति विज्ञान	—
5.	डॉ० एल. एम. मालवीय	आचार्य	4500-7300	वाणिज्य	—
6.	श्री ए. आर. कुर्या	व्याख्याता	2200-4000	वाणिज्य	—
7.	डॉ० एम. व्ही. सिंह चौहान	व्याख्याता	2200-4000	श्रम-कल्याण एवं औद्योगिक संबंध	—
8.	श्री ललित प्रकाश पट्टेरिया.	व्याख्याता	2200-4000	व्यवसाय प्रबंधन	—
9.	श्री आर. के. ब्रम्हे	व्याख्याता	2200-4000	अर्थशास्त्र/ व्यवसायिक अर्थशास्त्र	सुरक्षित पद
10.	डॉ० हेमलता मेश्राम	व्याख्याता	2200-4000	हिन्दी	सुरक्षित पद
11.	श्री यू. श्रीधरन	व्याख्याता	2200-4000	वार्निकी, वन्य जीवन एवं आर्थिक विकास.	—

कार्यपरिषद के आदेशानुसार,
§ श्री श्रीधरन त्रिवेदी §
कुलसचिव.

पृ०क्रमांक: स्था./प्रशा/श. नि./89/6239 प्रशा. §

दिनांक: 31-3-89.

प्रतिलिपि -

§1§

श्री. वंकराम औरेल
उनादिवासी कॉलेज होस्टल रांची

को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, यदि सेवा में हो, तो पूर्व नियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

§2§

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ.

§3§

प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ.

§4§

सचिव, म. प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ.

§5§

वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ.

§6§


कुलपति जी के सचिव की ओर कुलपति जी के सूचनार्थ.

§7§

समन्वयक, शिक्षण विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ.

§8§

सहायक कुलसचिव § शिक्षण विभाग § गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित का का कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सूचना दें।


उपकुलसचिव § प्रशासन §
31/3/89

एस. के/
31.3.89.